

सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-03/2023

दिनांक- 03 जनवरी 2023

प्रेस विज्ञप्ति

थाना बरदह

आधा दर्जन से अधिक धोखाधड़ी के मामलों में वांछित गैंगस्टर का शातिर बदमाश गिरफ्तार

आज दिनांक 03.01.2023 को प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह मय हमराह चेकिंग करते हुए बरौना बाजार मे मौजूद था जहां पर मुखबीर से सूचना मिली कि थाना स्थानीय गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी ललित राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर सा0 बनगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ इस समय दुबरा बाजार मे नहर के पास खडा है कही जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहा है।

इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय हमराह दुबरा बाजार पहुचार नहर पुलिया के पास पहुंचे। मौके पर खडा एक व्यक्ति पुलिस वालो को देख कर हडबडा गया और तेज कदमो से भागने लगा। पुलिस बल की मदद से उस व्यक्ति को घेराबंदी कर नहर पुलिया पर प्रातः 06:10 बजे पकड लिया गया।

पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ललित राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर सा0 बनगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ चूकि अभि0 उपरोक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 01/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट का नामजद अभि0 है

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 - 01/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

- 1 मु0अ0सं0 67/17 धारा 411,419,420 भादवि सिधारी आजमगढ़ (विचाराधीन माननीय न्यायालय)
- 2 मु0अ0सं0 104/17 धारा 411,419,420 भादवि सिधारी आजमगढ़(विचाराधीन माननीय न्यायालय)
- 3 मु0अ0सं0 193/17 धारा 419,420 भादवि सिधारी आजमगढ़ (विचाराधीन माननीय न्यायालय)
4. मु0अ0सं0 201/17 धारा 411,420 भादवि रानी की सराय आजमगढ़ (विचाराधीन माननीय न्यायालय)
5. मु0अ0सं0 248/17 धारा 419,420 भादवि सिधारी आजमगढ़ (विचाराधीन माननीय न्यायालय)
6. मु0अ0सं0 38/18 धारा 60 आबकारी अधि0 गम्भीरपुर आजमगढ़ (विचाराधीन माननीय न्यायालय)
- 7 मु0अ0सं0 359/22 धारा 394,411 भादवि बरदह आजमगढ़ (विचाराधीन माननीय न्यायालय)
8. मु0अ0सं0360/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बरदह आजमगढ़ (विचाराधीन माननीय न्यायालय)
9. मु0अ0सं001/23 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्टबरदह आजमगढ़ (विवेचनाधीन)

गिरफ्तार अभियुक्त

1- ललित राजभर पुत्र हरिश्चन्द्र राजभर सा0 बनगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम

संजय सिंह (प्रभारी निरीक्षक) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

विहंगल यादव (मुख्य आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

सौरभ सिंह (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

सुमेर सिंह (चालक मु0आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ़

थाना मुबारकपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

आज दिनांक- 03.01.2023 को प्र0 चौकी कस्बा मुबारकपुर उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ठाकुरद्वारा, मुबारकपुर इण्टर कालेज से अभियुक्त खलील उर्फ खलीलुर्हमान पुत्र अनवार निवासी

पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 05.15 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 0.303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.303 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 04/2023 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त – खलील उर्फ खलीलुर्हमान पुत्र अनवार निवासी पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी - 01 अदद तमंचा .303 बोर

01 अदद कारतूस .303 बोर

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0- 04/2023 धारा-3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 09/2004 धारा 457/380 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
 2. मु0अ0सं0 0015/2004 धारा 394/307/302/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
 3. मु0अ0सं0 0044/2004 धारा 392/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
 4. मु0अ0सं0 630/2003 धारा 457/380/411 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
 5. मु0अ0सं0 639/2008 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना मुबारकपुर आजमगढ़
 6. 140/2006 धारा 110 सीआरपीसी थाना मुबारकपुर आजमगढ़
 7. 304/2007 धारा 110 सीआरपीसी थाना मुबारकपुर आजमगढ़
 8. 421/2008 धारा 110 सीआरपीसी थाना मुबारकपुर आजमगढ़
 9. 422/2009 धारा 110 सीआरपीसी थाना मुबारकपुर आजमगढ़
 10. मु0अ0सं0- 385/2022 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
8. गिरफ्तारी करने वाली टीम –
1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
 2. हे0का0 सुधीर कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
 3. का0 सद्दाम हुसैन अंसारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
 4. का0 दिग्विजय पाल थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर

गैंगेस्टर एक्ट में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - दिनांक 01.01.2023 को शातिर अभ्यस्थ अपराधियो 1- कमलेश पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम मुहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2- सलमान अहमद पुत्र रिजवान निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ 3-अबुल फैज उर्फ गब्बू पुत्र नन्हे नवासी ग्राम मुहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा गिरोह बनाकर चोरी हत्या का प्रयास जैसे अपराध कारित किया जाता है जिससे आम जन मानस में इन अपराधियो के विरुध भय व डर व्याप्त था। जिससे थाना प्रभारी द्वारा इन अपराधियो के विरुध गैंग पंजीकृत कराकर थाना गम्भीरपुर पर मु.अ.स. 03/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1- कमलेश पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम मुहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2- सलमान अहमद पुत्र रिजवान निवासी मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ 3-अबुल फैज उर्फ गब्बू पुत्र नन्हे नवासी ग्राम मुहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 03.01.2023 को थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कमलेश कुमार को फरिहा मोड तिराहा से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 03/2023 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

बराम

गिरफ्तार अभियुक्त- कमलेश पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम मुहम्मदपुर भीटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 02/22 धारा 307,420, 467, 468, 471 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

2- मु0अ0सं0 03/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1.थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

2. का0 सूरज खरवार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

3. का0 रमेश यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना सिधारी

चोरी की योजना बनाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी के उपकरण चाभी का गुच्छा ,प्लास्टिक की टार्च,
पेचकस, आला नकब बरामद।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक- 2/01/2023 को उप नि0 राजेन्द्र कुमार मय को सूचना मिली कि सिधारी हाइड्रिल में प्राथमिक विद्यालय के पास दो व्यक्ति संदिग्ध मौजूद है जो कोई अपराध करने की योजना बना रहे है, के इस सूचना पर हाइड्रिल पहुंचे तथा प्राथमिक विद्यालय के करीब पहुंचे जहां स्कूल के बरामदे में अंधेरे में दो व्यक्तियों के बात करने की आवाज सुनाई दी एक व्यक्ति कह रहा था कि और रात हो जाने दो तब लोगो के सो जाने पर घर में चोरी किया जायेगा दुसरे व्यक्ति ने कहा कि देर राततक पुलिस की गश्त भी खत्म हो जायेगी जिस पर यह विश्वास हो जाने पर कि वह दोनो व्यक्ति रात्रि में घरों में घुस कर चोरी करने की योजना बना रहे है हमराहियो के साथ बरामदे में टार्च की रोशनी डालते हुए दौड़ाकर वहा मौजूद भागने का प्रयास कर रहे दोनो व्यक्तियो को पकड लिया गया । पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम अनिल गौड पुत्र छोटे लाल गौड निवासी डुगडुगवा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक अदद चाभी का गुच्छा जिसमें विभिन्न प्रकार की कुल 12 चाभी लगी है तथ एक टार्च बरामद हुआ जब दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम राजकुमार पुत्र शिवनन्दन प्रजापति निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक अदद आला नकब लोहे, एक अदद पेचकस बरामद हुआ पकड़े गये व्यक्तियों का यह कार्य अन्तर्गत धारा 401 भा0द0वि0 का दण्डनीय कारण गिरफ्तारी बताकर समय 11.50 बजे बाजाफता पुलिस हिरासत में लेकर गिरफ्तारी मेमो तैयार किये । जिसके विरूद्ध मु0अ0सं0 003/2023 धारा 401 भादवि का मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.अनिल गौड पुत्र छोटेलाल गौड सा0 डुगडुगवा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

2.राजकुमार पुत्र शिवनन्दन प्रजापति सा0 जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

बरामदगी –

अभियुक्त अनिल गौड पुत्र छोटे लाल गौड निवासी डुगडुगवा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पास से एक अदद चाभी का गुच्छा जिसमें विभिन्न प्रकार की कुल 12 चाभी लगी है व एक लाल काले रंग की छोटी प्लास्टिक की टार्च FLORA लिखा है ।

अभियुक्त राजकुमार पुत्र शिवनन्दन प्रजापति निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के पास से एक अदद आला नकब लोहे का जिसकी लम्बाई तीन बीता है जो आगे से चपटा व नुकीला है व कमर में खुसा हुआ एक अदद पेचकस बरामद ।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 003/2023 धारा 401 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 रामनिवास थाना सिधारी आजमगढ़
3. का0 सुरेन्द्र यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.01.2023 को उ0निरी0 रविन्द्र नाथ पाण्डेय चौकी प्रभारी मार्टिनगंज मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान इरनागोकुलपुर के पास से बुलेरो गाड़ी सवार एक व्यक्ति को 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ पकड़ा गया, पकड़े हुए व्यक्ति ने अपना नाम सुभाष राजभर पुत्र स्व फिरतू राजभर निवासी बनगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ बताया। अभियुक्त सुभाष राजभर उपरोक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 A Act का दण्डनीय अपराध है अग्रेतर अपराध रोकने एवम विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अपराध का बोध करते हुए कारण गिरफ्तारी बता कर अभियुक्त सुभाष राजभर पुत्र स्व0 फिरतू राजभर ग्रा0 बनगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ को समय करीब 20.10 बजे हिरासत पुलिस तथा बरामद कट्टा व कारतूस को कब्जा पुलिस में लिया। बुलेरो गाड़ी नं0 UP66A4205 सफेद रंग का कागजात मांगा गया तो दिखाने में कासिर रहा उपरोक्त वाहन को 207 MV Act में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता – 1. सुभाष राजभर पुत्र स्व फिरतू राजभर निवासी बनगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- 1. सुभाष राजभर पुत्र स्व फिरतू राजभर निवासी बनगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	01/2023	3/25 आर्मस एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
2	47/2020	147/148/149/307/332/333/336/353/504/506 भादवि	दीदारगंज	आजमगढ़
3	128/2020	3(1) उ0प्र गैगेस्टर एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

घटनास्थल- इरनागोकुलपुर

बरामदगी- 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व सीज शुदा एक अदद बुलेरो न0 UP66A4205 सफेद रंग

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह उ0नि0 रविन्द्रनाथ पाण्डेय, मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़